आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में दिनांक और तारीख सहित
1	3

4.11.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
राजस्व विविध वाद सं0–02/2019–20
सत्तो देवी वगै0
बनाम
16 आना रैयत एवं अन्य
आदेश

यह राजस्व विविध वाद आवेदिका सत्तो देवी पे0–स्व0 लालजी मंडल, पति–सनातन मंडल सा0+पो0–बेगमगंज, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अंचल अधिकारी, उधवा से इस न्यायालय के ज्ञापांक 37/भू0 सु0 दिनांक 03.05.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी उधवा के पत्रांक 423/रा0 दिनांक 16.07.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत संतुष्ट होकर दिनांक 18.07.2019 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

विवादित भूमि की विवरणी निम्न है:–

मौजा	जमाबंदी न0	दाग न0	रकवा
बेगमगंज	104	809	00–04–05 धूर

उभय पक्ष उपस्थित। साथ ही दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदिका प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

1. विक्रय केवाला दिनांक 03.03.1932 जो जमाबंदी रैयत चिन्ता मंडललाईन के द्वारा लालजी मंडल के पक्ष में निष्पादित की है, की छाया प्रति।
2. मौजा–बेगमगंज जमाबंदी न0 104, करवा 00–04–05 धूर जमीन मालोती बेवा के नाम निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति।
3. क्रि0मिस0 वाद सं0 148/17 (बलराम घोष बनाम सनातन मंडल) की आदेश प्रति की छाया प्रति।
4. फर्जी बिक्री केवाला।
5. जमाबंदी न0 104 के जमाबंदी रैयत चिन्ता मंडलाईन के खतियान की छाया प्रति।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन गेंन्जर्स सर्वे खतियान में चिन्ता मंडलाईन पति–प्रभुनाथ मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन को चिन्ता मंडलाईन ने लालजी मंडल को अनिबंधित दस्तावेज के द्वारा दिनांक 03.03.1932 के द्वारा विक्रय किये एवं लालजी मंडल के द्वारा क्रय के पश्चात उक्त जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। लालजी मंडल ने अपनी पत्नी मलोती बेवा एक बेटी सत्तो देवी और एक बेटा सुधीर मंडल को छोडकर स्वर्ग सिधार गये। इस वाद में लालजी मंडल की बेटी सत्तो देवी एवं बेटा सुधीर मंडल आवेदकगण है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि लालजी मंडल के मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी मालोती देवी के नाम से विधिवत नामान्तरण करवाकर सरकारी सिरिस्ता में नाम दर्ज हुआ और उनके नाम से मालगुजारी रसीद कटता रहा। इधर वर्ष 2014 से विपक्षीगण द्वारा गैर कानुनी ढंग से सादा कागज में खतियानी रैयत चिन्ता मंडलाईन पति प्रभु मंडल से क्रेता

Scanned with CamScanner

लालु घोष पिता नान्दु घोष दिखा कर फर्जी कागजात बनाया गया है।

साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया है कि विपक्षी बलराम घोष उर्फ गोविन्द घोष ने आवेदकगण के जमीन को हड़पने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में द0प्र0स0 की धारा 144 के अन्तर्गत क्रिमि0 वाद संख्या 148/17 दिनांक 23.02.17 को आवेदिका सत्तो देवी की पति सनातन मंडल के विरुद्ध किया था। उक्त वाद में भी आवेदिका के पति सनातन मंडल के पक्ष में रिक्त करते हुए विपक्षी बलराम घोष उर्फ गोविन्द घोष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि मालोती देवी के उत्तराधिकारी एवं दखलकार के हैसियत से उक्त अनुसूची की जमीन का नामान्तरण नामान्तरण वाद संख्या 620/2006–07 है, जबकि विपक्षी का प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण को लेकर कुछ स्पष्ट नही है, केवाल सिरिस्ता में रकवा 00–03–10 धूर जमीन का व्यौरा किसी स्तर से दर्ज करा लिए है जो सरासर गलत है।

अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि विपक्षी का नाम सरकारी सिरिस्ता के पेज न0 259/111 को विलोपित किया जाय।

आज विपक्षी उपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके समर्थन में निम्न लिखित कागजात समर्पित किया गया जो निम्न प्रकार हैः–

1. लगान रसीद चार प्रति में छाया प्रति।
2. पर्चा की छाया प्रति।
3. अनिबंधित केवाला की छाया प्रति।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन की खतियानी रैयत चिन्ता मंडलाईन पति प्रभुनाथ मंडल है, जो वर्ष 1932 में उक्त जमीन को अनिबंधित दस्तावेज के माध्यम से लालु घोष को बिक्री किये उनके वारिसान के द्वारा वर्ष 1991–2000 में विधिवत ढंग से नामान्तरण करवाकर अधतन लगान भुगतान करते आ रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष आवेदक के द्वारा के फर्जी कागजात बनाकर प्रश्नगत जमीन 04 कट्ठा 05 धूर का नामान्तरण वर्ष 2006–07 में कर्मचारी को अपने प्रभाव में लेकर गलत ढंग से करवाये हैं एवं उक्त जमीन का राजस्व कर्मचारी से खजाना रसीद भी निर्गत करवाये। उनका यह भी कहना है कि यह वाद दोहरी जमाबंदी से सबंधित है। चूँकि विपक्षी का लगान वर्ष 1999–2000 तक कटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पुनः उसी जमीन का का खजाना वर्ष 2006–07 में आवेदिका से कैसे और किस रुप में लिया गया है।

अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदिका द्वारा दाखिल राजस्व विविध वाद आवेदन को खारीज किया जाय।

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक 423/रा0 दिनांक 16.07.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बेगमगंज के जमाबंदी न0 104/1 दाग न0 809, रकवा 00–04–05 धूर जमीन चिन्ता मंडलाईन पति प्रभुनाथ मंडल सा0 बेगमगंज के नाम से निबंधित दस्तावेज दिनांक 03.03.1932 को लालजी मंडल पे0 लूटन मंडल ने खरीद किये। लालजी मंडल के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी मालोती देवी उक्त जमीन का नामान्तरण संख्या 620/2006–07 से नामान्तरण करवाकर दखलकार बनी। जिस पर वर्तमान में खपड़ा का मकान है एवं इसमें मालती देवी की पुत्री आवेदिका सत्तो देवी सपरिवार के साथ रहती है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका अपनी माता

Scanned with CamScanner

मलोती बेवा के नाम से लगान रसीद 2006–07 से लेकर 2016–17 तक अदा की है तथा अपने मकान में शांतिपूर्वक सपरिवार निवास कर रही है। हल्का कर्मचारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल के न्यायालय अन्तर्गत क्रि0मि0 वाद संख्या 148/2017 के द्वारा भा0 द0 प्र0 स0 की धारा 144 के अधीन कार्रवाई का उल्लेख भी किया गया है। जिसमें आवेदिका सत्तो देवी के पति सनातन मंडल के हित में रिक्त करते हुए गोविन्द मंडल के विरूद्ध निषेधाज्ञा सम्पुष्ट किया गया है।

साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के भाई धनजु घोष दीगर के नाम से जमाबंदी नं0 104/1 दाग न0 809 रकवा 00–03–10 धूर जमीन का पंजी–II में दर्ज है। लेकिन नामान्तरण वाद सं0 अंकित नही है, तथा उक्त भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा भी नही है। साथ ही बलराम घोष, मदन घोष पिता–स्व0 युधिष्ठर घोष सा0–बेगंमगंज ने नामान्तरण वाद संख्या 1842/2014–15 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा किरण देवी पति परमानन्द मंडल को जमाबंदी न0 104/1 दाग न0 809 रकवा 00–01–15 धूर बिना दखल कब्जा के ही बेच दिये। जो विवाद का कारण है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा उभय पक्षों के दस्तावेजो के अवलोकनोपरांत ही अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन को अंचल निरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित किया गया है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि लगान रसीद केवल दखल के आधार पर निर्गत किया जाता है, इसका स्वत्व या अधिकार से कोई संबंध नही है। अंचल अधिकारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के चालू जमाबंदी धारक को लगान रसीद से वंचित नही कर सकते है।

अतएव अंचल अधिकारी को निदेश है कि शुद्ध रुप से दखल के आधार पर लगान रसीद निर्गत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner